न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण मु0 सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र संख्या 33/22 **वर्ष 2022**

GCMS No. - 2022/220

बउनवानीः—सद्दाम सोडा पुत्र ताहिर हुसेन सोडा जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुलतानपुरा तहसील मन्दसोर सुलतानपुरा मध्यप्रदेश

बनाम

1. सरकार जरिये थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र विरूद्व मुकदमा संख्या 175/2022 थाना चौथ का बरवाडा, अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशुवध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन नियम 1995)

उपस्थितः—श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा — वकील प्रार्थी

श्री तोफिक मोहम्मद — पैरोकार

—:निर्णय :— दिनांकः— **16.2.2023**

प्रस्तुत सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाहन संख्या MP14GC1952 चैचिस नम्बर MA1ZR2TBKL5B16395 इंजन नम्बर TBL4A82482 पिकअप का मालिक है। उक्त वाहन को लेकर प्रार्थी का ड्राईवर दिनांक 19.7.2022 को टोंक में सामान डालने आया हुआ था सामान डालने के बाद टोंक से चौथ का बरवाडा की तरफ काश्तकारों से पशुओ हेतु चारा खरीदने के लिए निकल गया इसी दौरान थाना चौथ का बरवाडा द्वारा अवैधानिक तरीके से रोककर प्रार्थी के वाहन को गौवंश अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के वाहन को गलत तरीके से जब्त कर लिया है। प्रार्थी की आय का एक मात्र साधन उक्त वाहन है यदि उक्त वाहन को प्रार्थी की सुपुदर्गी मे नही दिया तो प्रार्थी के सामने परिवार पालने की समस्या पैदा हो जावेगी। न्यायालय जब जब भी उक्त वाहन को तलब करेगा मे न्यायालय के समक्ष उक्त वाहन को प्रस्तुत कर दूंगा। उक्त वाहन को सुपुदर्गी में दिये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैराकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी चौथ का बरवाडा के उक्त वाहन संख्या MP14GC1952 चैचिस नम्बर MA1ZR2TBKL5B16395 इंजन नम्बर TBL4A82482 में दिनांक 19.7.2022 को 2.15 पीएम सवाईमाधोपुर रोड़ पर देवनारायण छात्रावास के पास पहुँचा तो मुखबीर खास से जरिये सूचना मिली की ग्राम ऐकडा में उक्त वाहन में 5—6 व्यक्ति गौवंश भरकर कटवाने के लिए कही लेकर जा रहे है। मुखबीर [illegible] सूचना के अनुसार उक्त वाहन एकडा की झोपडी वाले रास्ते [illegible] [illegible] ज्ञाप्ते की मदद से पिकअप को रूकवायी गयी तो पांच आदमी मौके [illegible] भाग गये एक शख्स विक्रम पुत्र शकूर जाति लुहार निवासी [illegible] सदर टोंक को पकड [illegible] पूछा तो उसने बताया कि तीन गौवंश गौंकशी के लिए टोंक ले जा रहे है। उक्त अपराध

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पर उक्त वाहन एवं वाहन चालक के विरूद्व थाना चौथ का बरवाडा पर मुकदमा नम्बर 175/2022 धारा 5/8 गौवंश अधिनियम मे दर्ज कर अनुसंधान श्री अब्दुल रहमान एएसआई से करवाया जाकर थाना मे उक्त वाहन से संबंधित तकमील तफ्तीश पूर्ण की जा चुकी है। उक्त मामलें मे जब्त शुदा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने से पूर्व प्रार्थी से इस आशय का अन्डरटेंकिग लिया जाना उचित होगा कि प्रार्थी प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक वाहन को खुर्द बुर्द नही करने रंग रोगन नही करे,एवं जब–जब न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेगा तब तब न्यायालय मे पेश करने की शर्त पर जमानत पर जब्त शुदा उक्त वाहन संख्या MP14GC1952 पिकअप को रिलीज करने मे अनापत्ती प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्श पर पहुॅचता हूॅ कि प्रार्थी क्लेमेंट एवं जामिनी ओर से रूपये 15.00–15.00 लाख (पन्द्रह–पन्द्रह लाख रूपये)का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा मय न्यायालय द्वारा लगाई गयी शर्तो (कि प्रार्थी प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक वाहन को खुर्द बुर्द नही करेगा, रंग रोगन नही करेगा एवं जब–जब न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेगा तब–तब न्यायालय मे पेश करेगा।) को स्वीकार करते हुए इकरारनामा व शपथ पत्र प्रस्तुत कर देने पर उक्त वाहन को प्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिये जाने के आदेश प्रदान किया जाता है। उक्तानुसार सुपुदर्गी नामा एवं जमानतानामा पेश होने पर तस्दीक किये जाकर थानाधिकारी चौथ का बरवाडा को उक्त वाहन संख्या MP14GC1952 पिकअप प्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिये जाने हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested